[2019] 2 उम. नि. प. 17

मध्य प्रदेश राज्य

बनाम

छाक्की लाल

26 सितम्बर, 2018

न्यायमूर्ति (श्रीमती) आर. बानुमती और न्यायमूर्ति विनीत सरन

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 72] – हत्या – अभियुक्तों द्वारा एक ही परिवार के चार व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या किया जाना – घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य में थोड़ी विसंगति के आधार पर अभियुक्तों की दोषसिद्धि को उलटा जाना – अभियुक्तों के प्रकटन कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त बंदूक/पिस्तौल तथा घटनास्थल से बरामद कारतूसों के खोखे और अभियुक्तों से बरामद जिंदा कारतूसों का प्राक्षेपिकी विज्ञानी की रिपोर्ट में मिलान होने और घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य सटीक और विश्वसनीय होने तथा इसकी संपुष्टि चिकित्सीय और अन्य साक्ष्य से होने पर अभियुक्तों को दोषसिद्ध करना उचित होगा ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 134] – हत्या – घटना की एकमात्र नातेदार साक्षी का साक्ष्य – साक्ष्य में थोड़ी विसंगति पाया जाना – साक्ष्यिक महत्व – यह भलीभांति सुस्थापित है कि किसी तथ्य के सबूत के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या नहीं अपितु साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है और यदि एकमात्र साक्षी के साक्ष्य में समग्र रूप में विचार करने पर सत्यता और विश्वसनीयता झलकती हो तथा थोड़ी-बहुत विसंगति से विश्वसनीयता डगमगाती न हो, तो ऐसे एकमात्र साक्षी के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है ।

अपील के तथ्यों के अनुसार, केसर बाई (अभि. सा. 1), उसकी पुत्रवधु मृतका फूलवती और पौत्र रिंकु आयु तीन वर्ष सरसों की फसल

काटने के लिए खेत की ओर जा रहे थे । मृतका गणेशी बाई, जो केसर बाई (अभि. सा. 1) की पुत्री थी और मृतक गंगा, जो गणेशी बाई के जेठ का लड़का था, उनसे थोड़ा आगे थे । जैसे ही केसर बाई सार्वजनिक रास्ते पर मथावला डांग के निकट पहुंची, तो उसे चार-पांच गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी और देखा कि अभियुक्त गंगा सिंह और गणेशी बाई पर गोलियां चला रहे थे । उसके पश्चात्, अभियुक्त छाक्की लाल और उसका पुत्र अखिलेश सामने की ओर से बंदूकें लिए हुए उनकी ओर आए । छाक्की लाल ने केसर बाई (अभि. सा. 1) से कहा कि उन्होंने उसकी पुत्री गणेशी बाई तथा गंगा सिंह को तो मार दिया है और अब उसकी बारी है । छाक्की लाल - अभियुक्त सं. 1 ने फिर फूलवती पर उसके उदर में गोली मारी, दूसरी गोली अखिलेश - अभियुक्त सं. 2 द्वारा रिंकु पर चलाई गई । फिर अभियुक्त - छाक्की लाल रिंकु पर कूदा जिसके कारण संघात की वजह से उसकी अंतड़ियां बाहर निकल आई और परिणामस्वरूप उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । केसर बाई (अभि . सा. 1) ने अभियुक्त व्यक्तियों को ललकारा कि 'किस बात की प्रतीक्षा कर हो, मुझे भी मार दो' । छाक्की लाल ने कथित रूप से यह उत्तर दिया कि वह उसे नहीं मारेगा क्योंकि इन घटनाओं को देखकर वह अपने आप मर जाएगी । तारीख 20 फरवरी, 2006 को शिकायत - देहाती नालिशी अभिलिखित की गई और आरंभिक अन्वेषण के पश्चात् दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25, 27, 29 और 30 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । विचारण न्यायालय ने केसर बाई (अभि. सा. 1) के साक्ष्य और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए अन्य साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत अभियुक्त सं. 1 और 2 को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दोषी ठहराया । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मामला 'विरल से विरलतम मामलों' के प्रवर्ग में आता है और प्रत्येक पर 5000/- रुपए का जुर्माना अधिरोपित करने के अतिरिक्त दोनों अभियुक्त व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया । अपील करने पर, उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तों द्वारा फाइल की गई अपील मंजूर की गई । उच्च न्यायालय ने यह पाया कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी केसर बाई

(अभि. सा. 1) विश्वसनीय साक्षी नहीं है और उसका साक्ष्य विरोधाभासों और लोपों से भरा पड़ा है । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि केसर बोई (अभि. सा. 1) एक विश्वसनीय साक्षी नहीं है और उन निष्कर्षों के आधार पर दोषसिद्धि के निर्णय को उलट दिया और अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया । राज्य ने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल कीं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलों को भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को मात्र इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि केसर बाई (अभि. सा. 1) का साक्ष्य विरोधाभासों से भरा है । केसर बाई (अभि. सा. 1) एक देहाती ग्रामीण थी और वृद्ध भी थी । वह स्वयं अपनी पुत्री और पुत्रवधु तथा पौत्र की मृत्यु को देखने के पश्चात् अवश्य अत्यधिक सदमें में रही होगी । केसर बाई (अभि. सा. 1) न्यायालय में कुछ समय के पश्चात् अभिसाक्ष्य दे रही थी । स्वाभाविक तौर पर, उसके पूर्ववर्ती बयान से घट-बढ़ होना लाजिमी है । विचारण न्यायालय ने, जिसके पास साक्षियों के हाव-भाव का अवलोकन करने का अवसर था, यह पाया कि अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य विश्वसनीय और भरोसेमंद है । जबकि उच्च न्यायालय को केसर बाई (अभि. सा. 1) की विश्वसनीयता के बारे में संदेह करते हुए निष्कर्ष अभिलिखित नहीं करना चाहिए था । विचारण न्यायालय के पास साक्षियों के हाव-भाव को देखने और अवलोकन करने का अवसर होता है और साक्षियों की विश्वसनीयता के बारे में विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण अधिक महत्व का हकदार है । जब तक विचारण न्यायालय द्वारा किया गया साक्ष्य का मूल्यांकन गंभीर त्रुटि से दूषित न हो, विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । न्यायालय के सुविचारित मत में, उच्च न्यायालय ने केसर बाई (अभि. सा. 1) के परिसाक्ष्य पर संदेह करके गलती की है । यह प्रतिवाद करना अयुक्तियुक्त होगा कि क्योंकि केसर बाई (अभि. सा. 1) मृतकों की नातेदार है और उसके साक्ष्य में विरोधाभास थे, इसलिए उसके साक्ष्य को त्यक्त कर दिया जाना चाहिए । ऐसी विसंगतियां, जिनसे साक्षी की विश्वसनीयता और अभियोजन पक्षकथन का मूल वृत्तांत डगमगाता न हो, त्यक्त कर दी

जानी चाहिए । यदि साक्षी का साक्ष्य समग्र तौर पर सत्य प्रतीत होता है तो उस पर संदेह नहीं किया जा सकता है । (पैरा 20, 21 और 22)

उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के निर्णय को उलटने के लिए यह उल्लेख किया है कि अभिगृहीत की गई बंदूक और पिस्तौल (तारीख 1 मार्च, 2006 को बरामद) जो न्यायालयिक प्रयोगशाला में केवल तारीख 19 अप्रैल, 2006 को भेजी गई थी, उनको वहां भेजने में विलंब किया गया था । उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए अभियोजन के पक्षकथन पर संदेह किया कि अभिगृहीत बंदूकें/पिस्तौल न्यायालयिक प्रयोगशाला में विलंब से भेजने के अतिरिक्त यह दर्शित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अभिगृहीत आयुध तारीख 1 मार्च, 2006 से 19 अप्रैल, 2006 तक कहां रखे गए थे । बरामद किए गए आयुधों को न्यायालयिक प्रयोगशाला में भेजने में किया गया ऐसा विलंब केवल अन्वेषक अधिकारी का लोप या चूक हो सकती है । अन्वेषण में हुए ऐसे लोप या चूक उस अभियोजन के पक्षकथन को त्यक्त करने का आधार नहीं हो सकता है जो अन्यथा विश्वसनीय और तर्कपूर्ण है । इस न्यायालय को यह भान है कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में अपील न्यायालय को सामान्यतया दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । किंतु जहां उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण गंभीर खामी से ग्रस्त हो, यह न्यायालय उस साक्ष्य और तर्काधार का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है जिस पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित है । न्याय की जो हानि दोषी को दोषमुक्त करने से हो सकती है, वह निर्दोष को दोषसिद्ध करने से होने वाली हानि से कम नहीं है । साक्ष्य तथा विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के तर्काधारों का पुनर्मूल्यांकन करने के उपरांत, इस न्यायालय के सुविचारित मत में, उच्च न्यायालय का निर्णय गंभीर खामी से ग्रस्त है । उच्च न्यायालय ने एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभि. सा. 1 के बयान पर संदेह करके गलती की है जिसके साक्ष्य की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य और प्राक्षेपिकी विज्ञानी के साक्ष्य से होती है । उच्च न्यायालय ने अभि. सा. 1 के साक्ष्य का उचित परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन नहीं किया और उसके बयान को उन विरोधाभासों के आधार पर अविश्वसनीय मानकर गलती की, जो तात्विक नहीं हैं । उच्च न्यायालय

ने केसर बाई (अभि. सा. 1) के विश्वसनीय साक्ष्य को नामंजूर करके गलती की है, जिसके परिणामस्वरूप इस न्यायालय के सुविचारित मत में, इस मामले में न्याय की गंभीर हानि हुई है, जहां चार-चार व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी । विचारण न्यायालय ने छाक्की लाल और अखिलेश को दोषसिद्ध करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि यह मामला विरल से विरलतम मामला है और मृत्यु दंड अधिनिर्णीत किया । घटना वर्ष 2006 में घटी थी और इसके अलावा, द्वितीय अभियुक्त-अखिलेश के विरुद्ध अपील का उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उपशमन हो गया है । इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा व्यतीत समय पर विचार करते हुए न्यायालय का यह मत है कि मृत्युदंड देना आवश्यक नहीं है और प्रत्यर्थी/अभियुक्त छाक्की लाल पर आजीवन कारावास का दंडादेश अधिरोपित करने से न्याय की पूर्ति हो जाएगी । (पैरा 33, 35 और 37)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2016]	(2016) 3 एस. सी. सी. 317 : **नानकोनू** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	33
[2016]	(2016) 3 एस. सी. सी. 26 : **सुदीप कुमार सेन** उर्फ **बिल्टु** बनाम **पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य** ;	23
[2015]	(2015) 9 एस. सी. सी. 588 : **वी. के. मिश्रा और एक अन्य** बनाम **उत्तराखंड राज्य** ;	34
[2009]	(2009) 11 एस. सी. सी. 588 : **पृथु** उर्फ **पृथी चंद और एक अन्य** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ;	22, 23
[1985]	(1985) 1 एस. सी. सी. 505 : **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **एम. के. एंथनी** ।	22

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 21 और 22. (इसके साथ 2011 की दांडिक अपील सं. 23-24)

2008 की दांडिक अपील सं. 254 और 2008 के दांडिक मृत्यु निर्देश सं. 2 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर के तारीख 13 अगस्त, 2008 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

हाजिर होने वाले पक्षकारों की ओर से सुश्री बंसुरी स्वराज, सुश्री स्वरुपम चतुर्वेदी, सर्वश्री बी. एन. दूबे (सुश्री) देविका गुलाटी, (सुश्री) वैशाली वर्मा, राहुल चिटनिस, आदित्य ए. पांडे, चन्द्रशेखर आशरी, पी. के. शर्मा, उदय प्रकाश यादव, सुजीत कुमार झा, रामजी पांडेय और प्रदीप कुमार दूबे

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (श्रीमती) आर. बानुमती ने दिया ।

न्या. (श्रीमती) बानुमती – ये अपीलें 2008 के दांडिक मृत्यु दंड निर्देश सं. 2 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस निर्णय से उद्भूत हुई हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी-अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध से दोषमुक्त करते हुए और विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी/अभियुक्त और उसके पुत्र अभियुक्त-अखिलेश को दी गई मृत्यु-शास्ति को अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी-अभियुक्तों द्वारा फाइल की गई अपील मंजूर की है ।

2. इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थी सं. 2 अखिलेश की मृत्यु हो गई थी और उसके विरुद्ध अपील को, उपशमन होने के कारण तारीख 28 फरवरी, 2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था ।

3. संक्षेप में, अभियोजन का पक्षकथन यह है कि तारीख 20 फरवरी, 2006 को लगभग 12.00-12.30 बजे अपराह्न में केसर बाई (अभि. सा. 1), उसकी पुत्रवधु मृतका फूलवती और पौत्र रिंकु, आयु तीन वर्ष, सरसों की फसल काटने के लिए खेत की ओर जा रहे थे । मृतका

गणेशी बाई, जो केसर बाई (अभि. सा. 1) की पुत्री थी और मृतक गंगा, जो गणेशी बाई के जेठ का लड़का था, उनसे थोड़ा आगे थे । जैसे ही केसर बाई सार्वजनिक रास्ते पर मथावला डांग के निकट पहुंची, तो उसे चार-पांच गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी और देखा कि अभियुक्त गंगा सिंह और गणेशी बाई पर गोलियां चला रहे थे । उसके पश्चात्, अभियुक्त छाक्की लाल और उसका पुत्र अखिलेश सामने की ओर से बंदूकें लिए हुए उनकी ओर आए । छाक्की लाल ने केसर बाई (अभि. सा. 1) से कहा कि उन्होंने उसकी पुत्री गणेशी बाई तथा गंगा सिंह को तो मार दिया है और अब उसकी बारी है । छाक्की लाल अभियुक्त सं. 1 ने फिर फूलवती पर उसके उदर में गोली मारी, दूसरी गोली अखिलेश अभियुक्त सं. 2 द्वारा रिंकु पर चलाई गई । फिर अभियुक्त छाक्की लाल रिंकु पर कूदा जिसके कारण संघात की वजह से उसकी अंतड़ियां बाहर निकल आईं और परिणामस्वरूप उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । केसर बाई (अभि . सा. 1) ने अभियुक्त व्यक्तियों को ललकारा कि 'किस बात की प्रतीक्षा कर हो, मुझे भी मार दो' । छाक्की लाल ने कथित रूप से यह उत्तर दिया कि वह उसे नहीं मारेगा क्योंकि इन घटनाओं को देखकर वह अपने आप मर जाएगी । तारीख 20 फरवरी, 2006 को शिकायत - देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-1) अभिलिखित की गई और आरंभिक अन्वेषण के पश्चात् दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25, 27, 29 और 30 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी 25-26) रजिस्ट्रीकृत की गई ।

4. डा. एस. के. सिंह निरंजन (अभि . सा. 6) ने सभी चार मृतकों अर्थात् फूलवती, रिंकु सिंह, गणेशी बाई और गंगा सिंह के शवों की मरणोत्तर परीक्षा की और क्षतियों का उल्लेख किया तथा मरणोत्तर परीक्षा प्रमाणपत्र जारी किए । अभियुक्त छाक्की लाल और अखिलेश को 26 फरवरी, 2006 को गिरफ्तार किया गया । छाक्की लाल अभियुक्त सं. 1 के प्रकटन कथन के आधार पर एक कट्टा अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी-20 द्वारा अभिगृहीत किया गया । अखिलेश अभियुक्त सं. 2 के प्रकटन कथन के आधार पर अखिलेश से एक 12 बोर की बंदूक के साथ-साथ 12 बोर के दो जिंदा कारतूस अभिगृहीत किए गए । अखिलेश से

अभियुक्त - छाक्की लाल का बंदूक का लाइसेंस भी अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी-21 द्वारा अभिगृहीत किया गया । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्टों (प्रदर्श पी-31, पी-32 और पी-33) के अनुसार, दागे हुए कारतूस प्रदर्श ईसी-1 से प्रदर्श ईसी-4 पिस्तौल प्रदर्श ए-4 से दागे गए थे, दो जिंदा कारतूस प्रदर्श एलआर-1 और एलआर-2, 12 बोर की गन/बंदूक (प्रदर्श ए-3) से दागे जा सकते थे, प्रदर्श ईबी-1 और ईबी-2 रायफल आयुध से दागे गए थे । प्रदर्श ईबी-3 प्रदर्श ईबी-2 का भाग हो सकता है ।

5. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों की दोषिता को सिद्ध करने के लिए अभि. सा. 1 से अभि. सा. 13 की परीक्षा की और कई सारे दस्तावेज प्रदर्शित किए । अभियुक्तों से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपराध में आलिप्त करने वाले साक्ष्य और परिस्थितियों के बारे में प्रश्न पूछे गए और अभियुक्तों ने उन सभी प्रश्नों से इनकार किया । अभियुक्तों ने अपनी प्रतिरक्षा में यह कथन किया कि मृतक गंगा सिंह एक आपराधिक चरित्र का व्यक्ति था जिसकी डाकुओं से भी सांठ-गांठ थी और चोरी तथा छीना-झपटी के काम में लगा था । अभियुक्त व्यक्तियों ने यह कथन किया कि पुरानी दुश्मनी के कारण उन्हें मिथ्या रूप से फंसाया गया है । विचारण न्यायालय ने केसर बाई (अभि. सा. 1) के साक्ष्य और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए अन्य साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत अभियुक्त सं. 1 और 2 को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दोषी ठहराया । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मामला 'विरल से विरलतम मामलों' के प्रवर्ग में आता है और प्रत्येक पर 5000/- रुपए का जुर्माना अधिरोपित करने के अतिरिक्त दोनों अभियुक्त व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया । अपील करने पर, उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तों द्वारा फाइल की गई अपील मंजूर की गई । उच्च न्यायालय ने यह पाया कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी केसर बाई (अभि. सा. 1) विश्वसनीय साक्षी नहीं है और उसका साक्ष्य विरोधाभासों और लोपों से भरा पड़ा है । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि केसर बाई (अभि. सा. 1) एक विश्वसनीय साक्षी नहीं है और उन निष्कर्षों के आधार पर दोषसिद्धि के निर्णय को उलट दिया और अभियुक्त व्यक्तियों

को दोषमुक्त कर दिया ।

6. मध्य प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल तथा प्रत्यर्थी/अभियुक्तों की ओर से विद्वान् काउंसेल को सुना । मध्य प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि केसर बाई (अभि. सा. 1) का साक्ष्य विश्वसनीय और स्वीकार करने योग्य है और उसके साक्ष्य का समर्थन अन्य साक्ष्य और परिस्थितियों से होता है तथा उच्च न्यायालय ने केसर बाई (अभि. सा. 1) के साक्ष्य पर अविश्वास करके गलती की है । यह भी दलील दी गई कि आयुध जो 1 मार्च, 2006 को बरामद किए गए थे, उन्हें परीक्षण के लिए तारीख 19 अप्रैल, 2006 को न्यायालयिक प्रयोगशाला में भेजने में विलंब बी. एल. धनेले - अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 13) की गलती/लोप के कारण हुआ था और इस लोप का फायदा अभियुक्तों को नहीं दिया जा सकता । यह आग्रह किया गया कि उच्च न्यायालय ने प्रतिरक्षा पक्ष के इस वृत्तांत पर विश्वास करके गलती की है कि चारों मृतकों की हत्या डाकुओं द्वारा की गई थी क्योंकि मृतक गंगा सिंह के डाकुओं के साथ अवैध संबंध थे और उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने में असफल रहा कि प्रतिरक्षा पक्ष का वृत्तांत निराधार था ।

7. प्रत्यर्थी/अभियुक्तों की यह दलील है कि केसर बाई (अभि. सा. 1) एक ईमानदार और भरोसेमंद साक्षी नहीं है क्योंकि उसने न्यायालय में अपने अभिसाक्ष्य में महत्वपूर्ण पहलुओं पर कई सारे सुधार किए हैं । विद्वान् काउंसेल ने केसर बाई (अभि. सा. 1) के साक्ष्य को चुनौती देते हुए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित दलीलें दीं :–

> केसर बाई (अभि. सा. 1) ने न्यायालय में अपने अभिसाक्ष्य में यह दावा किया कि उसने गंगा सिंह और गणेशी बाई की हत्या को देखा था, जबकि पुलिस को दी गई शिकायत में उसने यह कहा था कि उसने बंदूक की चार-पांच गोलियां दागने की आवाज सुनी और उसके पश्चात् जब वह वहां पहुंची, तो उसने प्रत्यर्थी/अभियुक्त छाक्की लाल और अखिलेश को उनकी ओर आते हुए देखा ;
>
> छाक्की लाल पर आरोपित इस प्रकट कृत्य के बारे में केसर

बाई (अभि. सा. 1) के सुधार किए गए वृत्तांत का प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है कि उसने रिंकु को जमीन पर फेंका और उसके उदर पर छलांग लगा दी जिसके परिणामस्वरूप उसकी अंतड़ियां बाहर निकल आई ।

8. प्रत्यर्थी-अभियुक्तों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि एकमात्र साक्षी केसर बाई (अभि. सा. 1) का साक्ष्य दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सका था और उच्च न्यायालय ने केसर बाई के साक्ष्य को ठीक ही त्यक्त किया है और दोषसिद्धि को अपास्त करके तथा अभियुक्तों को दोषमुक्त करके ठीक किया है ।

9. हमने परस्पर विरोधी दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और आक्षेपित निर्णय, साक्ष्य और अभिलेख पर प्रस्तुत की गई सामग्री का परिशीलन किया है । विचारणीय मुद्दा यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी-अभियुक्तों की दोषसिद्धि के निर्णय को उलटकर और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त करके ठीक किया है या नहीं ।

10. यह ऐसा मामला है जिसमें दिनदहाड़े चार लोगों की हत्या कर दी गई थी । मृतकों में एक मृतक रिंकु था जो तीन वर्ष की आयु का बालक था । अभियोजन का पक्षकथन केसर बाई (अभि. सा. 1) के एकमात्र परिसाक्ष्य पर आधारित है । केसर बाई (अभि. सा; 1) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया कि गंगा सिंह और गणेशी बाई नीम का पेड़ काटने के लिए आगे-आगे जा रहे थे और वह (अभि. सा. 1) उसकी पुत्रवधु फूलवती और पौत्र रिंकु उनके पीछे-पीछे जा रहे थे । केसर बाई ने यह कथन किया कि जब वे मधावला डांग पर पहुंचे, तो गंगा सिंह 10-15 फुट की दूरी पर था और उसने अभियुक्त छाक्की लाल और अखिलेश को गंगा सिंह पर गोलियां चलाते हुए देखा और उसके पश्चात् गणेशी बाई पर गोलियां चलाते हुए देखा । फिर अभियुक्त छाक्की लाल और अखिलेश फूलवती की ओर आए और छाक्की लाल ने फूलवती के पेट में गोली मार दी । अखिलेश ने भी फूलवती को गोली मारी । अखिलेश ने रिंकु के गोली मारी और छाक्की लाल ने रिंकु को जमीन पर फेंक दिया । छाक्की लाल ने भी रिंकु को गोली मारी । छाक्की लाल रिंकु के ऊपर

चढ़ गया और उस पर कूदा, जिसके कारण उसकी अंतड़ियां बाहर आ गई । जब केसर बाई (अभि. सा. 1) ने उनसे गोली चलाकर उसे भी मारने के लिए कहा, तो छाक्की लाल ने यह उत्तर दिया कि वे उसे नहीं मारेंगे और इन सभी घटनाओं को देखकर वह अपने आप मर जाएगी ।

11. ठाकुर दास (अभि. सा. 2), जो ग्राम चौकीदार है, ने यह कथन किया कि उसने घटना के बारे में केसर बाई (अभि. सा. 1) से सुना था और घटनास्थल पर गया था तथा गंगा सिंह, गणेशी बाई, फूलवती और रिंकु के शव देखे थे । ठाकुर दास (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया कि जब वह गांव पहुंचा, तो केसर बाई रो रही थी और उसने उसे बताया कि छाक्की लाल और उसके पुत्र अखिलेश ने सभी चार व्यक्तियों की हत्या की थी जब वे खेत की ओर जा रहे थे ।

12. अभियोजन का पक्षकथन प्रत्यक्षदर्शी साक्षी केसर बाई (अभि. सा. 1) के एकमात्र परिसाक्ष्य के इर्द-गिर्द घुमता है जिसे विचारण न्यायालय द्वारा विश्वसनीय होना स्वीकार किया गया था । उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के निर्णय को उलटते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि केसर बाई (अभि. सा. 1) का साक्ष्य विसंगतियों से भरा है और इसलिए उसका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है । उच्च न्यायालय ने यह इंगित किया कि केसर बाई का साक्ष्य अतिरंजित है और यह कि अभियुक्त छाक्की लाल द्वारा रिंकु को गोली मारने की बात उसके कथन (प्रदर्श पी-1) से पूरी तरह गायब है । उच्च न्यायालय ने और भी विसंगतियों को इंगित किया ।

13. केसर बाई ने न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन किया कि जब वह और उसकी पुत्रवधु फूलवती तथा रिंकु मधावला डांग के निकट पहुंचे, तब अन्य मृतक व्यक्ति अर्थात् गणेशी बाई और गंगा सिंह उनसे केवल दस कदम दूर थे और उसने दोनों अभियुक्तों को गंगा सिंह और गणेशी बाई पर गोली चलाते हुए देखा और उसके पश्चात् अभियुक्त उसकी ओर आए । देहाती नालिशी-शिकायत (प्रदर्श पी-1) में केसर बाई ने यह कथन किया उसने बंदूक से चार-पांच गोलियां चलने की आवाज सुनी और फिर अभियुक्तों को यह कहते हुए अपनी ओर आते हुए देखा कि उन्होंने गणेशी बाई और गंगा सिंह को मार दिया है

और इसके बाद फूलवती और बालक रिंकु पर गोली चलाई । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय के समक्ष किए गए केसर बाई (अभि. सा. 1) के वृत्तांत में तात्विक सुधार हैं और केसर बाई (अभि. सा. 1) का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है ।

14. निस्संदेह, न्यायालय के समक्ष किए गए केसर बाई (अभि. सा. 1) के वृत्तांत में थोड़ा सुधार है किंतु उस परिस्थिति को देखा जाना चाहिए जिसमें देहाती नालिशी-शिकायत (प्रदर्श पी-1) अभिलिखित की गई थी । केसर बाई ने अपने चार सगे-संबंधी खोए थे । उस समय जब देहाती नालिशी-शिकायत (प्रदर्श पी-1) अभिलिखत की गई थी, तब केसर बाई (अभि. सा. 1) अवश्य शोक-संतप्त और मानसिक आघात में रही होगी और उसने यह कहा होगा कि उसने बंदूक की चार-पांच गोलियां चलने की आवाज सुनी और फिर गंगा सिंह और गणेशी बाई के शव देखे और इसके बाद अभियुक्त फूलवती और बालक रिंकु के निकट आए और उन पर गोली चला दी ।

15. प्रत्यर्थी-अभियुक्तों की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि केसर बाई (अभि. सा. 1) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में एक हमलावर कैलाश के बारे में कथन किया था और देहाती नालिशी में भी वह नामित था तथा पुलिस द्वारा उक्त कैलाश को घटना के पश्चात् एक या दो दिन के लिए निरुद्ध किया था किंतु बाद में पुलिस द्वारा दबाव के कारण उसे छोड़ दिया था । यह दलील दी गई कि केसर बाई (अभि. सा. 1) द्वारा एक अन्य हमलावर कैलाश का उल्लेख करने से अभियोजन के पक्षकथन पर संदेह उत्पन्न होता है । तारीख 20 फरवरी, 2006 को 5.15 बजे अपराह्न में घटना की तारीख को सर्वप्रथम देहाती नालिशी-प्रदर्श पी-1 दर्ज की गई थी । देहाती नालिशी-प्रदर्श पी-1 में कैलाश के नाम का उल्लेख नहीं है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी- 25-26) में भी अभिकथित हमलावर कैलाश का नाम अंतर्विष्ट नहीं है । चूंकि कैलाश का नाम न तो देहाती नालिशी और न ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित था, इसलिए, प्रतिपरीक्षा में केसर बाई (अभि. सा. 1) से निकलवाए गए उत्तरों से उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव नहीं पड़ता है । यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि केसर बाई (अभि. सा. 1) ने

अपनी प्रतिपरीक्षा में हालांकि यह कथन किया था कि कैलाश को शिकायत दर्ज करने के दो से तीन दिन पश्चात् पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था, तो भी केसर बाई (अभि. सा. 1) ने यह कथन किया था कि वह नहीं कह सकती कि पुलिस ने कैलाश को उसके मामले के संबंध में अभिरक्षा में लिया था या अन्य मामले के संबंध में ।

16. यद्यपि कैलाश की अभिकथित अंतर्ग्रस्तता के संबंध में बहुत से तर्क दिए गए हैं और उसे अभिरक्षा में भी लिया गया था, तो भी इस कैलाश नामक व्यक्ति के बारे में दिए गए समस्त तर्क केसर बाई (अभि. सा. 1) से निकलवाए गए कतिपय उत्तरों पर आधारित हैं । अन्वेषक अधिकारी ने भी इस बात से इनकार किया है कि वह कैलाश और अर्दमान नामक व्यक्ति को लाया था और उन्हें 4-5 दिन तक अभिरक्षा में रखा था । उसने इस बात से भी इनकार किया कि केसर बाई (अभि. सा. 1) के कथन के आधार पर उसने उनकी बंदूकें रख ली थीं । अन्वेषक अधिकारी ने इस बात से इनकार किया है कि उसने कुछ दबाव के कारण कैलाश और अर्दमान को रिहा कर दिया था और प्रत्यर्थी/अभियुक्तों को मिथ्या रूप से अंतर्ग्रस्त कर लिया था । अन्वेषक अधिकारी ने इस बात से भी इनकार किया है कि केसर बाई (अभि. सा. 1) ने उसे बताया था कि कैलाश और अर्दमान ने डाकूओं के साथ मिलकर घटना कारित की थी । अन्वेषक अधिकारी ने इस बात से भी इनकार किया है कि केसर बाई (अभि. सा. 1) ने अपने कथन में कैलाश और अर्दमान का नाम लिया था और उसके द्वारा उन नामों को लिखा गया था । अन्वेषक अधिकारी द्वारा किए गए स्पष्ट इनकार को ध्यान में रखते हुए कैलाश की अभिकथित अंतर्ग्रस्तता के बारे में प्रत्यर्थी/अभियुक्तों की दलील में कोई सार नहीं है ।

17. राम नरेश (अभि. सा. 3) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया कि गणेशी बाई और गंगा सिंह के शव एक दूसरे के निकट पाए गए थे और फूलवती और रिंकु के शव गणेशी बाई और गंगा सिंह के शवों से 25-30 फुट की दूरी पर थे । बी. एल. धनेले-अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 13) ने यह कथन किया है कि फूलवती का शव गणेशी बाई और गंगा सिंह के शवों से लगभग पंद्रह गज की दूरी पर था और उसके द्वारा स्थल नक्शा (प्रदर्श पी-24) में इसका उल्लेख किया गया है ।

18. विचारण न्यायालय ने स्थल नक्शा (प्रदर्श पी - 24) और राम नरेश (अभि. सा. 3) तथा अभि. सा. 13 द्व अन्वेषक अधिकारी के साक्ष्य को निर्दिष्ट करने के पश्चात् यह उल्लेख किया कि वह स्थान, जहां फूलवती और रिंकु को गोली मारी गई थी और जहां गणेशी बाई और गंगा सिंह के शव पाए गए थे, उनके बीच लगभग 15 गज की थोड़ी-सी दूरी थी । विचारण न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि चूंकि दूरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए अभियोजन का यह पक्षकथन कि गंगा सिंह, गणेशी बाई, फूलवती और रिंकु सभी को एक ही घटना के अनुक्रम में गोली मारी गई थी, केसर बाई (अभि. सा. 1) के मौखिक साक्ष्य और स्थल नक्शा (प्रदर्श पी-24) से भी सिद्ध होता है । जब विचारण न्यायालय ने अभि. सा. 13 अन्वेषक अधिकारी के साक्ष्य और स्थल नक्शा (प्रदर्श पी-24) को निर्दिष्ट करने के पश्चात् यह अभिलिखित किया है कि सभी चारों मृतकों को एक ही घटना के अनुक्रम में गोली मारी गई थी, तब उच्च न्यायालय को केसर बाई (अभि. सा. 1) के साक्ष्य में किए गए थोड़े-से सुधार के आधार पर उसके बयान पर संदेह नहीं करना चाहिए था । तर्क की खातिर यह मान भी लिया जाए कि अभि. सा. 1 ने गणेशी बाई और गंगा सिंह पर गोली चलाते हुए नहीं देखा था, तो भी उसका साक्ष्य मृतक फूलवती और बालक रिंकु पर गोली चलाने की घटना की सीमा तक स्वीकार किया जाना चाहिए । केसर बाई (अभि. सा.) ने अपने कथन में यह कहा है कि मृतक रिंकु को बंदूक से गोली मारने के पश्चात् अभियुक्त-छाक्की लाल ने बालक रिंकु को जमीन पर फेंक दिया और उसके उदर पर भी कूदा, जिसके परिणामस्वरूप उसकी अंतड़ियां बाहर आ गई । प्रत्यर्थी-अभियुक्तों की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि छाक्की लाल के बालक रिंकु के उदर पर कूदने का उल्लेख देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-1) और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नहीं है और इस तात्विक लोप से यह सुझाव मिलता है कि केसर बाई (अभि. सा. 1) ने बालक रिंकु को जमीन पर फेंके जाने और उसके उदरीय भाग पर कूदने के बारे में अपने बयान को बढ़ा-चढ़ाकर कहा है ।

19. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विश्वकोश नहीं है जिसमें अभियोजन पक्षकथन के सभी छोटे-से-छोटे ब्यौरे अंतर्विष्ट होने की प्रत्याशा की जाती

हो, यह पर्याप्त होगा यदि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियोजन पक्षकथन की मोटी-मोटी बातों का उल्लेख किया गया हो । इस मामले में, अभियुक्त-छाक्की लाल द्वारा बालक रिंकु पर गोली चलाने का उल्लेख प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में था और इस छोटे से ब्यौरे के लोप को कि छाक्की लाल बालक रिंकु के उदर पर कूदा था, अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं समझा जा सकता है । जैसी कि ऊपर चर्चा की गई है, केसर बाई (अभि. सा. 1) जैसी वृद्ध स्त्री के मस्तिष्क पर पड़ने वाले घटना के प्रभाव को मानदंड की कसौटी पर नहीं नापा जा सकता है । अपने चार सगे-संबंधियों की मृत्यु के कारण शोक-संतप्त होने की वजह से यह हो सकता कि केसर बाई (अभि. सा. 1) को घटना के सभी छोटी-छोटी ब्यौरों का वर्णन करना याद न रहा हो । अभियुक्त छाक्की लाल द्वारा बालक रिंकु को जमीन पर फेंकने और उसके उदर पर कूदने, जिसके कारण उसकी अंतड़ियां बाहर आ गई थीं, की बात का उल्लेख न होना अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं समझा जा सकता है ।

20. उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को मात्र इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि केसर बाई (अभि. सा. 1) का साक्ष्य विरोधाभासों से भरा है । केसर बाई (अभि. सा. 1) एक देहाती ग्रामीण थी और वृद्ध भी थी । वह स्वयं अपनी पुत्री और पुत्रवधु तथा पौत्र की मृत्यु को देखने के पश्चात् अवश्य अत्यधिक सदमें में रही होगी । केसर बाई (अभि. सा. 1) न्यायालय में कुछ समय के पश्चात् अभिसाक्ष्य दे रही थी । स्वाभाविक तौर पर, उसके पूर्ववर्ती बयान से घट-बढ़ होना लाजिमी है । विचारण न्यायालय ने, जिसके पास साक्षियों के हाव-भाव का अवलोकन करने का अवसर था, यह पाया कि अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य विश्वसनीय और भरोसेमंद है । जबकि उच्च न्यायालय को केसर बाई (अभि. सा. 1) की विश्वसनीयता के बारे में संदेह करते हुए निष्कर्ष अभिलिखित नहीं करना चाहिए था ।

21. विचारण न्यायालय के पास साक्षियों के हाव-भाव को देखने और अवलोकन करने का अवसर होता है और साक्षियों की विश्वसनीयता के बारे में विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण अधिक महत्व का हकदार है । जब तक विचारण न्यायालय द्वारा किया गया साक्ष्य का मूल्यांकन

गंभीर त्रुटि से दूषित न हो, विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।

22. हमारे सुविचारित मत में, उच्च न्यायालय ने केसर बाई (अभि. सा. 1) के परिसाक्ष्य पर संदेह करके गलती की है । यह प्रतिवाद करना अयुक्तियुक्त होगा कि क्योंकि केसर बाई (अभि. सा. 1) मृतकों की नातेदार है और उसके साक्ष्य में विरोधाभास थे, इसलिए उसके साक्ष्य को त्यक्त कर दिया जाना चाहिए । ऐसी विसंगतियां, जिनसे साक्षी की विश्वसनीयता और अभियोजन पक्षकथन का मूल वृत्तांत डगमगाता न हो, त्यक्त कर दी जानी चाहिए । यदि साक्षी का साक्ष्य समग्र तौर पर सत्य प्रतीत होता है तो उस पर संदेह नहीं किया जा सकता है । **पृथु** उर्फ **पृथी चंद और एक अन्य** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था :–

> "14. भरवाड़ा भोगिनभाई हीरजीभाई **बनाम** गुजरात राज्य [(1983) 3 एस. सी. सी. 217] वाले मामले में यह मत व्यक्त किया गया था कि ऐसे लोपों, विरोधाभासों और विसंगतियों को असम्यक् महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जो मामले की तह तक न जाती हों और अभियोजन साक्षियों का मूल वृत्तांत न डगमगाता हो । किसी साक्षी से फोटोग्राफिक याददाश्त रखने और घटना के ब्यौरों को शब्दश: स्मरण करने की प्रत्याशा नहीं की जा सकती है सामान्यतया, यह इसलिए होता है कि साक्षी घटनाओं से एकाएक घिर जाता है । कोई साक्षी घटना का पूर्वानुमान नहीं कर सकता जो प्राय: आश्चर्यचकित करने वाली होती है इसलिए यह प्रत्याशा नहीं की जा सकती है कि मानसिक शक्ति सभी ब्यौरों को आत्मसात कर ले । अत:, साक्षियों के कथनों में छुट-पुट विसंगतियां आना लाजिमी है ।"

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **एम. के. एंथनी**[2] वाले मामले में भी इसी सिद्धांत को दोहराया गया था ।

---

[1] (2009) 11 एस. सी. सी. 588.

[2] (1985) 1 एस. सी. सी. 505.

23. उच्च न्यायालय इस आधार पर अग्रसर हुआ कि केसर बाई (अभि. सा. 1) एकल साक्षी होने के कारण उसके साक्ष्य की तात्विक विशिष्टियों के संबंध में संपुष्टि के बिना दोषसिद्धि का आधार होने के लिए विश्वसनीय नहीं है । जैसीकि ऊपर चर्चा की गई है, जहां तक घटना के स्थल का संबंध है, अभि. सा. 1 के साक्ष्य की अन्य साक्ष्य से पूरी तरह संपुष्टि होती है । यह भलीभांति सुस्थापित है कि साक्ष्य की संख्या नहीं अपितु गुणवत्ता है जो मायने रखती है । साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 के निबंधनों के अनुसार, "किसी मामले में किसी तथ्य के सबूत के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी ।" कसौटी यह है कि क्या साक्ष्य में सच्चाई है, तर्कपूर्ण है और भरोसेमंद है । **पृथु** उर्फ **पृथी चंद और एक अन्य** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** (उपर्युक्त) वाले मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था :–

> "49. इस न्यायालय ने सतत् रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि साधारणतया न्यायालय किसी एकल साक्षी के परिसाक्ष्य के आधार पर कार्यवाही कर सकता है और कर सकेगा, बशर्ते वह परिसाक्ष्य पूर्णत: विश्वसनीय हो । किसी एकल साक्षी के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि करने में कोई विधिक अड़चन नहीं है । यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 की तर्कसंगति है । किंतु यदि ऐसे परिसाक्ष्य के बारे में संदेह हों तो न्यायालय इसकी संपुष्टि पर जोर दे सकता है । वास्तव में, जो तात्विक बात है वह संख्या या मात्रा नहीं अपितु गुणवत्ता है । चिरप्रचलित सिद्धांत यह है कि साक्ष्य के महत्व पर विचार किया जाना चाहिए न कि गणना पर । कसौटी यह है कि क्या साक्ष्य में सच्चाई है, तर्कपूर्ण है, विश्वसनीय और भरोसेमंद या अन्यथा है या नहीं । विधिक व्यवस्था ने साक्षियों की मात्रा, बहुलता या अनेकता की बजाय साक्ष्य के मूल्य, महत्व और गुणवत्ता पर जोर दिया है । अत:, कोई सक्षम न्यायालय किसी एकमात्र साक्षी पर विश्वास करने और दोषसिद्धि अभिलिखित करने के लिए पूर्णत: स्वतंत्र है । इसके विपरीत, यदि न्यायालय का साक्ष्य की गुणवत्ता के बारे में समाधान नहीं होता है तो वह कई साक्षियों के परिसाक्ष्य के बावजूद

अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है ।"

सुदीप कुमार सेन उर्फ **बिल्टु** बनाम **पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में इसी सिद्धांत को दोहराया गया था ।

24. उच्च न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष के वृत्तांत पर इस आधार पर संदेह किया गया था कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट काफी विलंब के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत की गई थी । देहाती नालिशी-शिकायत (प्रदर्श पी-1) के अनुसार, घटना का समय तारीख 20 फरवरी, 2006 को 12.00 - 12.30 बजे अपराह्न का था और देहाती नालिशी-शिकायत (प्रदर्श पी-1) उसी दिन 5.15 बजे अपराह्न में लिखी गई थी । अभि. सा. 13 - अन्वेषक अधिकारी ने यह कथन किया कि वह तारीख 20 फरवरी, 2006 को सेवंधा में स्वास्थ्य मेला में ड्यूटी पर था और उपमंडल अधिकारी श्रीमती रेखा सिंह से जानकारी प्राप्त होने पर वह घटनास्थल पर पहुंचा और देहाती नालिशी-शिकायत (प्रदर्श पी-1) लिखी । तारीख 20 फरवरी, 2006 को मृत्युसमीक्षा करने और आरंभिक अन्वेषण जैसे स्थल नक्शा तैयार करने, अभिग्रहण करने आदि के पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 21 फरवरी, 2006 को लगभग 2.00 बजे अपराह्न में रजिस्ट्रीकृत की गई थी । केसर बाई (अभि. सा. 1) का पुत्र रामवीर (अभि. सा; 8) गांव में मौजूद नहीं था और अपनी बहिन से मिलने के लिए गया हुआ था । जब अभि. सा. 1 के परिवार के सभी सदस्य मार दिए गए थे और उसका पुत्र रामवीर (अभि. सा. 8) गांव में नहीं था, तब केसर बाई (अभि. सा. 1) एक 70 वर्षीय ग्रामीण स्त्री से यह प्रत्याशा नहीं की जा सकती है कि वह परिवार के सदस्यों के शव घटनास्थल पर छोड़कर शिकायत दर्ज कराने के लिए दस किलोमीटर दूर स्थित पुलिस थाने जाती । जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने में हुए विलंब का उचित रूप से स्पष्टीकरण दिया गया है ।

25. शिकायत दर्ज करके या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकरण

---

[1] (2016) 3 एस. सी. सी. 26.

करके विधि के अनुसार कार्रवाई करने में हुए विलंब को न्यायालयों द्वारा प्रसामान्यत: संदेह की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि इससे अभियुक्तों के विरुद्ध मामला गढ़ने की संभाव्यता रहती है । किंतु जब विलंब के लिए उचित स्पष्टीकरण दे दिया गया हो, तब अभियोजन के पक्षकथन पर इस आधार पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण में विलंब हुआ था । इस मामले में, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलंब का उचित रूप से स्पष्टीकरण दिया गया है और यह विलंब अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं है ।

26. उच्च न्यायालय ने मेवालाल (अभि. सा. 11) के साक्ष्य को निर्दिष्ट किया, जिसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया था कि उसने अभि. सा. 1 को 8.00 - 9.00 बजे पूर्वाह्न में रोते हुए देखा और अभि. सा. 1 ने उसे बताया कि अभियुक्त व्यक्तियों ने गंगा सिंह, गणेशी बाई, फूलवती और रिंकु को मार दिया है । यह उल्लेखनीय है कि मेवालाल (अभि. सा. 11) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया था कि 12.00 - 12.30 बजे अपराह्न में जब वह गांव रुहेड़ा में अपने घर पर मौजूद था, तब उसे बंदूक से पांच-छह गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी और अभि. सा. 1, फूलवती की सास रास्ते से रोते हुए और यह कहते हुए गुजरी कि अभियुक्त छाक्की लाल और अखिलेश ने उसकी पुत्रवधु फूलवती, उसके पौत्र रिंकु, गणेशी बाई और गंगा सिंह की मधावली डांग में हत्या कर दी है । अभि. सा. 11 ने मुख्य परीक्षा में दिए गए अपने बयान से मुकरते हुए प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि लगभग 8.00 - 9.00 बजे पूर्वाह्न में जब वह अपने मकान पर था, तब अभि. सा. 1 अपने घर से यह कहते हुए आई किंतु अभियुक्त छाक्की लाल और अखिलेश ने उसकी पुत्रवधु फूलवती, उसके पौत्र रिंकु, गणेशी बाई और गंगा सिंह की हत्या कर दी है । प्रत्यर्थी-अभियुक्तों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 11 को पक्षद्रोही नहीं माना है और अभि. सा. 11 का उसकी प्रतिपरीक्षा में किया गया कथन घटना के समय और रीति के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है । निस्संदेह, अभि. सा. 11 को पक्षद्रोही

नहीं माना गया था, किंतु प्रतिपरीक्षा में उसका जो व्यपदेशी बयान है उससे न तो मुख्य परीक्षा में दिए गए उसके बयान पर प्रभाव पड़ता है और न ही इससे अभियोजन पक्षकथन प्रभावित होता है । उच्च न्यायालय ने अभि. सा. 11 जैसे दोलायमान साक्षी के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन के पक्षकथन और केसर बाई (अभि. सा. 1) की विश्वसनीयता पर संदेह करके ठीक नहीं किया है ।

27. अभियुक्तों को तारीख 26 फरवरी, 2006 को गिरफ्तार किया गया था और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभिलिखित प्रकटन कथन के आधार पर तारीख 1 मार्च, 2006 को अभियुक्त छाक्की लाल के बताने पर एक 0.315 बोर का कट्टा/देशी पिस्तौल (प्रदर्श ए-4) अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी-20 द्वारा अभिगृहीत की गई थी । अभियुक्त अखिलेश से एक 12 बोर की बंदूक (प्रदर्श ए-3) के साथ-साथ दो जिंदा कारतूस (प्रदर्श ईबी-1 और ईबी-2) और अभियुक्त छाक्की लाल का बंदूक का लाइसेंस अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी-21 के अधीन अभिगृहीत किए गए थे । एक 0.315 बोर का पीतल का खोखा (प्रदर्श पी-8) फूलवती के शव से बरामद किया गया था । 0.315 बोर के दो दागे हुए कारतूस (प्रदर्श पी-7) क्रमश: मृतक गणेशी बाई और गंगा सिंह के शवों के निकट पाए गए थे । प्राक्षेपिकी विज्ञानी ने प्रदर्श पी-32 और प्रदर्श पी-33 में यह राय व्यक्त की कि दागे हुए कारतूस (प्रदर्श ईसी-1 से ईसी-4) 0.315 बोर के कट्टे/देशी पिस्तौल (प्रदर्श ए-4) से दागे गए हैं । इसी तरह, प्राक्षेपिकी विज्ञानी ने प्रदर्श पी-32 और पी-33 में यह राय व्यक्त की कि दो जिंदा कारतूस (प्रदर्श - एलआर 1 और एलआर 2) 12 बोर की बंदूक (प्रदर्श ए-3) से दागे जा सकते हैं । अभियुक्तों से बरामद किए गए आयुधों से मिलान करते हुए प्राक्षेपिकी विज्ञानी की राय निम्नलिखित से दिखाई देती है :–

अभियुक्त	**जिस पर गोली चलाई**	**बरामद आयुध**	**प्राक्षेपिकी विशेषज्ञ की राय**
छाक्की लाल (अभियुक्त-1)	फूलवती	प्रदर्श पी-20 के अधीन	न्यायालयिक प्रयोगशाला की

		अभिगृहीत 315 बोर का कट्टा (प्रदर्श ए-4) – देशी पिस्तौल	रिपोर्टों (प्रदर्श पी-31, पी-32 और पी-33) के अनुसार, दागे हुए कारतूस (प्रदर्श ईसी-1 से ईसी-4) 0.315 बोर के कट्टे, एक देशी पिस्तौल (प्रदर्श ए-4) से दागे गए हैं । गंगा सिंह के शव से बरामद ईबी 2 गोली 0.315 बोर के कट्टे (प्रदर्श ए-4) से दागी गई थी । ईबी 3 ईबी 2 का भाग हो सकती है ।
अखिलेश (अभियुक्त-2)	रिंकु	प्रदर्श पी-21 के अधीन अभिगृहीत 12 बोर की बंदूक (प्रदर्श ए-3) और दो जिंदा कारतूस (ईबी-1 ईबी-2)	न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्टों (प्रदर्श पी-31, पी-32 और पी-33) के अनुसार, दो जिंदा कारतूस 12 बोर की बंदूक (प्रदर्श ए-3) से दागे जा सकते थे । प्रदर्श ईबी-1, जो रिंकु के शव पर पाया गया था, 12 बोर की बंदूक (प्रदर्श ए-3) से दागा गया है ।

प्राक्षेपिकी विज्ञानी की यह राय कि दागे हुए कारतूस अभियुक्त छाक्की लाल से बरामद 0.315 बोर के कट्टे/देशी पिस्तौल से दागे गए थे और यह राय कि जिंदा कारतूस (प्रदर्श ईबी-1 और ईबी-2) अभियुक्त अखिलेश से बरामद 12 बोर की बंदूक (प्रदर्श ए-3) से दागे गए थे, इनसे घटना में अभियुक्तों की सहापराधिता स्पष्ट तौर पर साबित होती है और तद्द्वारा अभि. सा. 1 के साक्ष्य की संपुष्टि होती है ।

28. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 315 बोर की देशी पिस्तौल (अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी-20) तारीख 1 मार्च, 2006 को छाक्की लाल से बरामद की गई थी और 12 बोर की बंदूक (प्रदर्श पी-21) अखिलेश से बरामद की गई थी । प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल की यह दलील है कि प्रदर्श पी-20 में 315 बोर के कट्टे की बरामदगी का उल्लेख है जबकि न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-32) में 0.315 बोर की देशी पिस्तौल के परीक्षण के बारे में उल्लेख है । प्रत्यर्थी/अभियुक्तों की यह भी दलील है कि इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि 315 बोर की देशी पिस्तौल न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-32) के दौरान कैसे 0.315 बोर में परिवर्तित हो गई थी ।

29. निस्संदेह, प्रदर्श पी-20 में यह कहा गया है कि 315 बोर का कट्टा छाक्की लाल से बरामद किया गया था और ऐसा ही उल्लेख आयुध अधिनियम के अधीन मंजूरी आदेश (प्रदर्श पी-14) में भी है । निस्संदेह, प्राक्षेपिकी विज्ञानी द्वारा जिस बंदूक का परीक्षण किया गया था, न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-32) में वह 0.315 बोर के कट्टे के रूप में उल्लिखित है । जो पिस्तौल पुलिस द्वारा अभिगृहीत की गई थी और जिसका प्राक्षेपिकी विज्ञानी द्वारा परीक्षण किया गया था, उनमें कोई फेरफार होना प्रतीत नहीं होता है । फर्क केवल 315 बोर के कट्टे और 0.315 बोर के कट्टे के वर्णन में प्रतीत होता है । अन्वेषक अधिकारी जिसने आयुध अभिगृहीत किया था और वह जिसने प्रदर्श पी-20 लिखा था, प्राक्षेपिकी विज्ञानी नहीं है और जहां तक बंदूकों/पिस्तौल के परीक्षण का संबंध है, वे इस संबंध में केवल सामान्यजन हैं । छाक्की लाल से बरामद कट्टे के वर्णन में कोई थोड़ा फेरफार होने से यह उस कट्टे से भिन्न कट्टा नहीं हो जाता है जिसका प्राक्षेपिकी विज्ञानी द्वारा (0.315

बोर का कट्टा) परीक्षण किया गया था ।

30. प्रत्यर्थी/अभियुक्तों की दलील यह है कि न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट में किसी भी हमलावर द्वारा रायफल का उपयोग करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है । यह दलील दी गई कि ईबी-1 और ईबी-2 0.315 बोर की देशी पिस्तौल या 12 बोर की बंदूक से नहीं दागे जा सकते हैं और ईबी-1 और ईबी-2 अवश्य किसी अन्य बड़े आकार की बंदूक से दागे गए हैं । यह दलील दी गई कि केसर बाई (अभि. सा. 1) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में एक कैलाश नामक व्यक्ति का नाम लिया था कि उक्त कैलाश को लगभग चार से छह दिन तक अभिरक्षा में रखा गया था और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो बंदूक कैलाश से बरामद की गई उसे छाक्की लाल पर आरोपित कर दिया गया हो । यह भी दलील दी गई कि न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण की गई पिस्तौल अवश्य कैलाश से ही बरामद की गई थी और इस बरामदगी तथा न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट के बीच की विसंगतियों को उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है ।

31. यह प्रतीत होता है कि इस मामले में 315 बोर की कोई बंदूक नहीं है अपितु केवल 0.315 बोर की बंदूक है । पुलिस द्वारा दिया गया यह वर्णन कि छाक्की लाल से बरामद बंदूक 315 बोर की थी केवल एक गलती से दिया गया वर्णन है ।

32. अन्वेषक अधिकारी ने यह कथन किया कि केसर बाई (अभि. सा. 1) ने उसके द्वारा अभिलिखित किए गए अपने कथन में यह बताया था कि अभियुक्तों ने बड़ी-बड़ी बंदूकों का उपयोग किया था । केसर बाई (अभि. सा. 1) एक देहाती ग्रामीण स्त्री होने के कारण बंदूक का सही वर्णन देने की स्थिति में नहीं हो सकती थी, इसलिए केसर बाई (अभि. सा. 1) से निकलवाए गए इन उत्तरों का फायदा अभियुक्त नहीं ले सकते हैं कि "अभियुक्त व्यक्ति बड़े आकार की बंदूक लिए हुए थे" क्योंकि यह केसर बाई जैसी एक देहाती ग्रामीण स्त्री द्वारा वर्णन करने का एक ढंग था । प्रत्यर्थियों की यह दलील है कि केसर बाई द्वारा कथित "बड़े आकार की बंदूक" केवल कैलाश की बंदूक हो सकती थी जिसे पुलिस द्वारा उसकी बंदूक सहित अभिरक्षा में लिया गया था और बाद में रिहा कर दिया गया था । यह दलील स्वीकार करने योग्य नहीं

है । अन्वेषक अधिकारी ने स्पष्ट तौर पर इस बात से इनकार किया है कि बड़ी बंदूकें कैलाश और अर्दमान की थी । अन्वेषक अधिकारी ने इस बात से भी इनकार किया है कि उसने दबाव के कारण कैलाश और अर्दमान को आलिप्त नहीं किया था और अभियुक्तों को मिथ्या रूप से फंसाया था ।

33. उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के निर्णय को उलटने के लिए यह उल्लेख किया है कि अभिगृहीत की गई बंदूक और पिस्तौल (तारीख 1 मार्च, 2006 को बरामद) जो न्यायालयिक प्रयोगशाला में केवल तारीख 19 अप्रैल, 2006 को भेजी गई थी, उनको वहां भेजने में विलंब किया गया था । उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए अभियोजन के पक्षकथन पर संदेह किया कि अभिगृहीत बंदूकें/पिस्तौल न्यायालयिक प्रयोगशाला में विलंब से भेजने के अतिरिक्त यह दर्शित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अभिगृहीत आयुध तारीख 1 मार्च, 2006 से 19 अप्रैल, 2006 तक कहां रखे गए थे । बरामद किए गए आयुधों को न्यायालयिक प्रयोगशाला में भेजने में किया गया ऐसा विलंब केवल अन्वेषक अधिकारी का लोप या चूक हो सकती है । अन्वेषण में हुए ऐसे लोप या चूक उस अभियोजन के पक्षकथन को त्यक्त करने का आधार नहीं हो सकता है जो अन्यथा विश्वसनीय और तर्कपूर्ण है । **नानकोनू** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था :–

> "9. .....अन्वेषक अधिकारी द्वारा किया गया कोई लोप अभियोजन के पक्षकथन के विरुद्ध नहीं जा सकता है । अभियोजन के वृत्तांत की परीक्षा अन्वेषण अभिकरण द्वारा किए गए ऐसे लोप से असंबद्ध होकर की जानी चाहिए । अन्यथा, इससे लोगों का न केवल विधि का प्रवर्तन करने वाले अभिकरण से अपितु न्याय प्रशासन से भी विश्वास उठ जाएगा । "

34. **वी. के. मिश्रा और एक अन्य** बनाम **उत्तराखंड राज्य**[2] वाले मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था :–

---

[1] (2016) 3 एस. सी. सी. 317.

[2] (2015) 9 एस. सी. सी. 588.

"38. अन्वेषक अधिकारी सभी संभाव्य प्रतिरक्षाओं का पूर्वानुमान करने और उस दृष्टिकोण से अन्वेषण करने के लिए आबद्ध नहीं है । किसी भी स्थिति में, अन्वेषक अधिकारी द्वारा किया गया कोई लोप अभियोजन के विरुद्ध नहीं जा सकता है । न्याय के हित की मांग है कि अन्वेषक अधिकारी के ऐसे कार्यों या लोप को अभियुक्त के पक्ष में नहीं लिया जाना चाहिए, अन्यथा यह ऐसे लोपों के लिए इनाम देने की कोटि में आएगा ।"

35. हमें यह भान है कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में अपील न्यायालय को सामान्यतया दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । किंतु जहां उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण गंभीर खामी से ग्रस्त हो, यह न्यायालय उस साक्ष्य और तर्काधार का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है जिस पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित है । न्याय की जो हानि दोषी को दोषमुक्त करने से हो सकती है, वह निर्दोष को दोषसिद्ध करने से होने वाली हानि से कम नहीं है । साक्ष्य तथा विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के तर्काधारों का पुनर्मूल्यांकन करने के उपरांत, हमारे सुविचारित मत में, उच्च न्यायालय का निर्णय गंभीर खामी से ग्रस्त है । उच्च न्यायालय ने एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभि. सा. 1 के बयान पर संदेह करके गलती की है जिसके साक्ष्य की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य और प्राक्षेपिकी विज्ञानी के साक्ष्य से होती है । उच्च न्यायालय ने अभि. सा. 1 के साक्ष्य का उचित परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन नहीं किया और उसके बयान को उन विरोधाभासों के आधार पर अविश्वसनीय मानकर गलती की, जो तात्विक नहीं हैं । उच्च न्यायालय ने केसर बाई (अभि. सा. 1) के विश्वसनीय साक्ष्य को नामंजूर करके गलती की है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे सुविचारित मत में, इस मामले में न्याय की गंभीर हानि हुई है, जहां चार-चार व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी ।

36. जहां साक्ष्य का उचित रूप से विश्लेषण नहीं किया गया है या उच्च न्यायालय ने अटकलों के आधार पर कार्यवाही की है और आक्षेपित निर्णय के निष्कर्ष अयुक्तियुक्त है, वहां अपील न्यायालय का यह कर्तव्य है कि गलती को ठीक करे । प्रस्तुत मामले में, उच्च न्यायालय ने केसर बाई (अभि. सा. 1) के विश्वसनीय साक्ष्य की अनदेखी की है और अनावश्यक रूप से छुट-पुट विरोधाभासों और लोपों पर जोर दिया है ।

तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा किए गए दोषमुक्ति के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है और विचारण न्यायालय के निर्णय को प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए ।

37. विचारण न्यायालय ने छाक्की लाल और अखिलेश को दोषसिद्ध करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि यह मामला विरल से विरलतम मामला है और मृत्यु दंड अधिनिर्णीत किया । घटना वर्ष 2006 में घटी थी और इसके अलावा, द्वितीय अभियुक्त-अखिलेश के विरुद्ध अपील का उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उपशमन हो गया है । इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा व्यतीत समय पर विचार करते हुए हमारा यह मत है कि मृत्यु दंड देना आवश्यक नहीं है और प्रत्यर्थी-अभियुक्त छाक्की लाल पर आजीवन कारावास का दंडादेश अधिरोपित करने से न्याय की पूर्ति हो जाएगी ।

38. परिणामतः, आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है और ये अपीलें मंजूर की जाती हैं । विचारण न्यायालय का प्रत्यर्थी-अभियुक्त छाक्की लाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध करने वाले निर्णय को प्रत्यावर्तित किया जाता है और प्रत्यर्थी-अभियुक्त को आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है । प्रत्यर्थी-छाक्की लाल शेष कारावास भुगतने के लिए एक सप्ताह के भीतर तुरंत अभ्यर्पण करेगा और अभ्यर्पण करने में असफल रहने पर अभिरक्षा में लिया जाएगा ।

अपीलें भागतः मंजूर की गईं ।

जस.